

**उत्तराखण्ड भासन**  
**वित्त अनुभाग-8**  
संख्या /2016/XXVII(8)/26(120)2016  
देहरादून:: दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

**अधिसूचना**

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

**संशोधन**

1. अनुसूची-I के क्रमांक 84 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात्—

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
85	इमारती लकड़ी से विभिन्न उत्पादों के निर्माणोपरान्त प्राप्त अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य लकड़ी।	करमुक्त

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

**संख्या-1041(1)/2016/26(120)/XXVII(8)/2016, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि:—**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियां वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

विधि अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें  
9210  
23-12-16

आज्ञा से,  
(हीरा सिंह बसेड़ा)  
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1041 /2016/ XXVII(8)/26(120)2016, dated 22 December, 2016 for general information.

**Government of Uttarakhand**

Finance Section-8

No. 1041 /2016/ XXVII(8)/26(120)2016

Dehradun :: Dated 22 December, 2016

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 ( U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

**Amendment**

1. After the existing entry at serial no 84 of Schedule I, the following entry shall be added, namely-

Sr No.	Description of goods	Rate of tax
85	Waste and discarded wood obtained after manufacturing of different products from timber.	Exempt

  
(Amit Singh Negi)  
Secretary.